

213

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय” वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 5-7/2006/1/8
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2006

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय: न्यायालयीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का नाम विलोपित किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 5-8/2003/1/8 दिनांक 10.7.2003।

—00—

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन न्यायालयीन वादों/याचिकाओं में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी करते समय आदेश में ही पक्षकार के रूप में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित करने हेतु प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए जाएं। परन्तु पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों के अवमानना के ऐसे कई प्रकरण शासन के ध्यान में आए हैं जिनमें मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है।

2/ मुख्य सचिव किसी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव नहीं होते। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अथवा कलेक्टर द्वारा ही यह देखा जाना चाहिए कि जिन प्रकरणों में राज्य शासन को मुख्य सचिव के माध्यम से पक्षकार बनाकर राज्य शासन के विरुद्ध वाद अथवा याचिका प्रस्तुत की जाती है, उनमें मुख्य सचिव के नाम को विलोपित करने की कार्यवाही यथासमय तत्काल की जाए ताकि मुख्य सचिव को अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी होने न्हीं स्थिति उत्पन्न न हो।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उनमें मुख्य सचिव का नाम पक्षकार के रूप में विलोपित करने की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा तत्काल की जाए। यदि भविष्य में किन्हीं प्रकरणों में मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस प्राप्त होगा तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

Khusi Ram
(खुशीराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Rajesh/letter

पृ. क. एफ 5-४/2006/1/8

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री / राज्यमंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के ऊपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेन्द्र शर्मा)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग